

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

—: कार्य विभाजन आदेश :—

क्रमांक **69** / सां.अनु-45 / 2026

टीकमगढ़, दिनांक 6 मई, 2026

मैं श्रीमती प्रवीणा व्यास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म.प्र.), मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1), धारा 10(दो) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 214, 422, 441, 448 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, न्यायिक जिला टीकमगढ़ में न्यायिक अधिकारीगण के स्थानांतरण होने से एवं रिक्त न्यायालयों में पदस्थापना होने से इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त कार्य विभाजन एवं संशोधित कार्य विभाजन आदेशों को निरस्त करते हुए, वर्तमान में न्यायिक जिला टीकमगढ़ में पदस्थ सभी न्यायालयों हेतु आगामी आदेश तक कार्य किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्य-विभाजन करती हूँ :-

यह आदेश दिनांक **06.05.2026** से प्रभावशील होकर **आगामी कार्य विभाजन आदेश** पारित होने तक प्रभावशील रहेगा और यह आदेश पूर्व से लंबित कार्यवाहियां व प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण हेतु :-				
एच.जे.एस. - मुख्यालय टीकमगढ़				
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (श्रीमती प्रवीणा व्यास)	सम्पूर्ण राजस्व जिला टीकमगढ़ अंतर्गत तहसील टीकमगढ़, बल्देवगढ़, खरगापुर एवं बड़ागांव	1	दस करोड़ रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विधि मामला।
			2	म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत जिला टीकमगढ़ अंतर्गत प्रस्तुत समस्त चुनाव याचिकायें।
	—''—	—''—	3	व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ट्रांसफर आफ कैसेस से संबंधित आवेदन पत्र।
	—''—	—''—	4	लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य धारियों से निष्कासन) (एविकशन आफ अन अथराइज्ड आक्यूपेंट) अधिनियम 1971 (Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971) के अंतर्गत अपीलें।
	—''—	—''—	5	इसी न्यायालय व दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियावयन।
	—''—	—''—	6	मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र (थाना— जतारा, पलेरा, लिधौरा, चन्देरा, बम्हौरीकला, निवाड़ी, टेहरका, सिमरा, पृथ्वीपुर, ओरछा, सेंदरी, जेरौन के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)। अन्य संपूर्ण जिले के थाना क्षेत्रों से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।
	—''—	—''—	7	दीवानी प्रकरणों के अंतरण हेतु आवेदनपत्र।
	—''—	—''—	8	रेन्ट कन्ट्रोलिंग अर्थोटी, टीकमगढ़ के आदेशों के विरुद्ध अपीलें।
	—''—	—''—	9	मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 262 के अंतर्गत रिफरेंस।
	—''—	—''—	10	समस्त आवेदनपत्र/अपीलें/रिफरेंस जो कि अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत हों, जिन्हें अन्य न्यायालयों को आवंटित न किया गया हो।
	—''—	—''—	11	सती निवारण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रकरण।
	—''—	—''—	12	नगरपालिका अधिनियम से संबंधित (टैक्स से) अपील प्रकरण। समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ द्वारा शासन के विरुद्ध पारित अस्थायी निषेधाज्ञा/डिक्री/निर्णय से उत्पन्न विविध एवं नियमित समस्त अपीलें।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	—''—	—''—	13	आदेश 21 नियम 8 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बाहर से आने वाली समस्त इजराय/टी.सी.
	—''—	—''—	14	भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
	—''—	—''—	15	ऐसे अन्य समस्त प्रकरण व आवेदनपत्र, जो सामान्य, स्थानीय और विशेष अधिनियम के अंतर्गत जिला जज की सुनवाई योग्य हों, जिनके संबंध में अन्यत्र निर्देश न दिया गया हो।
	—''—	—''—	16	कॉमर्सियल कोर्ट, कॉमर्सियल डिवीजन एवं कॉमर्सियल अपीलेंट, डिवीजन ऑफ उच्च न्यायालय अधिनियम 2015 के प्रावधान अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण
	—''—	—''—	17	घाटक दुर्घटना (फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855) के समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	18	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध व निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	19	विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20बी के प्रकरण
	—''—	—''—	20	व्यवहार अपील — समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़, समस्त अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ तथा समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़ के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें ।
	—''—	—''—	21	समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें ।
	—''—	—''—	22	ग्राम न्यायालय, टीकमगढ़ से उत्पन्न सिविल नियमित एवं विविध अपील।
2-	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (श्रीमती प्रवीणा व्यास)	सम्पूर्ण सत्र खण्ड, टीकमगढ़	1	समस्त सत्र विचारण।
	—''—	—''—	2	आपराधिक पुनरीक्षण।
	—''—	—''—	3	आपराधिक अपीलें
	—''—	—''—	4	सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण
	—''—	—''—	5	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993 - India Code) के अंतर्गत दण्ड याचिकायें।
	—''—	—''—	6	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत ट्रांसफर ऑफ केसेस से संबंधित आवेदन पत्र।
	—''—	—''—	7	बी.एन.एस.एस.2023 की धारा 448 एवं 449 के अंतर्गत आवेदन।
	—''—	—''—	8	बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों (बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005) से संबंधित प्रकरण।
	—''—	—''—	9	खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित दाण्डिक प्रकरणों से उत्पन्न दाण्डिक अपील/अपर कलेक्टर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के आदेशों के विरुद्ध अपील
	—''—	—''—	10	किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के द्वारा विचारित प्रकरणों से उत्पन्न समस्त दाण्डिक अपील
	—''—	—''—	11	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	—"	—"	12	ऐसे अन्य समस्त मामले जो अन्य न्यायालयों को नहीं सौंपे गये हों और सत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र के हों।
	—"	—"	13	ग्राम न्यायालय, टीकमगढ़ से संबंधित अपीलें।
	—"		14	जमानत आवेदन पत्र:- पुलिस थाना कोतवाली, टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, देहात थाना टीकमगढ़, दिगौड़ा, मोहनगढ़, कुडीला, खरगापुर, बल्देवगढ़, बड़ागांव एवं बुड़ेरा के क्षेत्र से उत्पन्न (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012), के अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, एन.डी. पी.एस. एक्ट, पी.सी. एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट विथ एस.सी./एस.टी. एक्ट के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्रों को छोड़कर) जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस. 2023
	—"			तहसील टीकमगढ़, बल्देवगढ़ के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध उत्पन्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
3-	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश टीकमगढ़ (श्री अशरफ अली)	राजस्व जिला टीकमगढ़ की तहसील टीकमगढ़, बल्देवगढ़, खरगापुर एवं बड़ागांव	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
4-	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश टीकमगढ़ (श्री अशरफ अली)	सम्पूर्ण सत्र खण्ड, टीकमगढ़ —"	1	विशेष न्यायाधीश- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष प्रकरण, रिमांड तथा प्रतिभूति आवेदनपत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
			2-	विशेष न्यायाधीश- स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम(Narcotic-Drugs-and-Psychotropic-Substances-Act-1985) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष प्रकरण, रिमांड तथा प्रतिभूति आवेदनपत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण। (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर का नोटिफिकेशन कमांक ए/5095/तीन-6-3/89 जबलपुर दिनांक 22.11.2025 द्वारा अधिसूचित)
	—"	—"	3	विशेष न्यायाधीश- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 (National Investigation Agency Act, 2008) के अधीन दांडिक प्रकरण
	—"	—"	4	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदनपत्र।
	—"	—"	5	उक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण।
	—"	—"	6	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
5-	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री राजकुमार गुप्ता)	माह जनवरी से मार्च तक एवं दिसम्बर तहसील टीकमगढ़, बल्देवगढ़, खरगापुर एवं बड़ागांव	1	एक करोड़ एक रुपए से दस करोड़ रुपए मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा सिविल विविध मामला।
	—"	—"	2	आरबिट्रेशन एण्ड कन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण।
	—"	—"	3	लघुवाद दावे रुपये 501 से 1,000 तक।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	—''—	—''—	4	इंडियन ट्रस्ट एक्ट (THE INDIAN TRUSTS ACT, 1882) के अंतर्गत प्रकरण।
	—''—	—''—	5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।
	—''—	—''—	6	प्रांविशियल इन्सालवेंशी एक्ट (The Provincial Insolvency Act, 1920) के अंतर्गत दावे याचिकायें।
	—''—	—''—	7	मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (The Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951) के अंतर्गत प्रकरण।
	—''—	—''—	8	निराकृत सिविल वादों/ मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण
	—''—	—''—	9	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदनपत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।
	—''—	—''—	10	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	11	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	12	समस्त व्यवहार अपील— मुख्यालय, टीकमगढ़ में पूर्व से पदस्थापित समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ / कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, के आज्ञापितियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त व्यवहार अपीलें।
	—''—	माह जनवरी से मार्च तक एवं दिसम्बर तहसील बल्लेवागढ़, खरगापुर, बड़ागांव	13	हिन्दू विवाह अधिनियम-हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम/ हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम/ इंडियन डायबोर्स एक्ट/ स्पेशल मैरिज एक्ट/मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत प्रकरण, गार्जियनशिप एवं वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएं तथा बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें/दावा
6-	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री राजकुमार गुप्ता)	सम्पूर्ण सत्र खण्ड, टीकमगढ़	1	विशेष न्यायाधीश— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 एवं 1988 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं संबंधित रिमांड तथा जमानत आवेदनपत्र।
	—''—	—''—	2	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदनपत्र।
	—''—	—''—	3	लंबित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
	—''—	—''—	4	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
7-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमारे)		1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		—''—	2	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत सिविल वादों/ मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण। उक्त न्यायालयों के आदेश/निर्णय से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।
8-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमारे)	सत्र खण्ड टीकमगढ़	1	विशेष न्यायाधीश— जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	—''—	—''—	2	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदनपत्र।
	—''—	—''—	3	विशेष न्यायाधीश — मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण, प्रतिभूति आवेदनपत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	4	लंबित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व जमानत आवेदनपत्र के अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस. 2023
	—''—	—''—	5	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
	—''—	—''—	6	न्यायालय— तृतीय सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा पूर्व में निराकृत पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों से उत्पन्न विविध प्रकरण।
9-	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री वरुण पुनासे)	माह अप्रैल से जुलाई तक तहसील टीकमगढ़, बल्देवगढ़, खरगापुर एवं बड़ागांव	1	एक करोड़ एक रुपए से दस करोड़ रुपए मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा सिविल विविध मामला।
	—''—	—''—	2	आरबिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	3	प्रांविशियल इन्सालवेंशी एक्ट के अंतर्गत दावे याचिकायें।
	—''—	—''—	4	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर
	—''—	—''—	5	इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
	—''—	—''—	6	धारा 26 म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (The Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951) के अंतर्गत प्रकरण।
	—''—	—''—	7	लघुवाद दावे रुपये 501 से 1,000 तक।
	—''—	—''—	8	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीले एवं अन्य कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	9	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदनपत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावें।
	—''—	—''—	10	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण।
	—''—	—''—	11	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	माह अप्रैल से जुलाई तक तहसील बल्देवगढ़, खरगापुर, बड़ागांव	12	हिन्दू विवाह अधिनियम—हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम/ हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम/ इंडियन डायबोर्स एक्ट/ स्पेशल मैरिज एक्ट/मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत प्रकरण, गार्जियनशिप एवं वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएं तथा बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें/दावा
10-	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री वरुण पुनासे)	सत्र खण्ड टीकमगढ़	1	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदनपत्र।
	—''—	—''—	2	लंबित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
	—''—	—''—	3	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	—''—	सिविल जिला टीकमगढ़ (जतारा एवं निवाड़ी के विद्युत क्षेत्र को छोड़कर)	4	विशेष न्यायाधीश —भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act 2003) के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र {माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर का नोटिफिकेशन क्रमांक सी/883 /तीन-6-4 /2003 जबलपुर दिनांक 06.02.2025 }।
	—''—	सत्र खण्ड टीकमगढ़	5	विशेष न्यायाधीश — दिनांक 01.04.2017 के पश्चात् प्रस्तुत होने वाले ओ.ए.डब्ल्यू महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध, चिन्हित, घोषित घृणित एवं सनसनीदार प्रकरण, हीनियस काइम प्रकरण (पॉक्सो एक्ट 2012 के संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) {माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर का नोटिफिकेशन क्रमांक सी/885 (OAW)/तीन-6-6/84 जबलपुर दिनांक 06.02.2025}
11-	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री कमलेश भरकुंदिया)	माह अगस्त से नवम्बर तक तहसील टीकमगढ़, बल्देवगढ़, खरगापुर एवं बड़ागांव	1	एक करोड़ एक रुपए से दस करोड़ रुपए मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा सिविल विविध मामला।
	—''—	—''—	2	आरबिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	3	प्राविशियल इन्सालवेंशी एक्ट के अंतर्गत दावे याचिकायें।
	—''—	—''—	4	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर
	—''—	—''—	5	इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
	—''—	—''—	6	धारा 26 म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (The Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951) के अंतर्गत प्रकरण।
	—''—	—''—	7	लघुवाद दावे रुपये 501 से 1,000 तक।
	—''—	—''—	8	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपील एवं अन्य कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	9	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदनपत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावें।
	—''—	—''—	10	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण।
	—''—	—''—	11	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	माह अगस्त से नवम्बर तक तहसील बल्देवगढ़, खरगापुर, बड़ागांव	12	हिन्दू विवाह अधिनियम—हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम/ हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम/ इंडियन डायबोर्स एक्ट/ स्पेशल मैरिज एक्ट/मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत प्रकरण, गार्जियनशिप एवं वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएं तथा बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें/दावा
	—''—	—''—	13	न्यायालय— तृतीय जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
12-	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री कमलेश भरकुंदिया)	सत्र खण्ड टीकमगढ़	1	राजस्व जिला टीकमगढ़ अंतर्गत मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (M.P. Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981) के अंतर्गत उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं संबंधित रिमांड तथा जमानत आवेदनपत्र।
	—''—	—''—	2	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदनपत्र।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	—"	—"	3	लंबित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
	—"	—"	4	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
13-	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (रिक्त न्यायालय)	राजस्व जिला टीकमगढ़		
14-	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (रिक्त न्यायालय)	सत्र खण्ड टीकमगढ़		
एच.जे.एस. - जतारा				
15-	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा (श्री हरीश वानवंशी)	माह जनवरी से जून तक राजस्व तह0 जतारा, पलेरा, लिधौरा, दिगौड़ा एवं मोहनगढ़	1	एक करोड़ एक रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद आवेदनपत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।
	—"	—"	2	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकाएँ।
	—"	—"	3	आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट से संबंधित निष्पादन प्रकरण।
	—"	—"	4	हिन्दू विवाह अधिनियम-हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम/ हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम/ इंडियन डायबोर्स एक्ट/ स्पेशल मैरिज एक्ट/गुरिलम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत प्रकरण, गार्जियनशिप एवं वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएँ तथा बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएँ/दावा
	—"	—"	5	धारा 26 म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
	—"	—"	6	भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
	—"	—"	7	भारतीय उत्तराधिकार के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।
	—"	—"	8	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञापितियों/आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।
	—"	—"	9	लघुवाद दावे रुपये 501 से 1000 तक।
	—"	—"	10	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।
	—"	—"	11	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
	—"	—"	12	ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ की श्रवणाधिकारिता के न हों परन्तु इस न्यायालय श्रवणाधिकारिता के हों।
	—"	—"	13	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—"	—"	14	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण:- टीकमगढ़ जिले के थाना- 1. लिधौरा 2. चंदेरा से उद्भूत दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा उक्त थाना के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकाएँ।
	—"	—"	15	व्यवहार अपील- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (सुश्री साक्षी मसीह) के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापितियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16-	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा (श्री हरीश वानवंशी)	सत्र खण्ड	1	विशेष न्यायाधीश — भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र (जतारा के विद्युत क्षेत्र से संबंधित)। (रजिस्ट्री अधिसूचना क्र. ए/2854/तीन-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 10.04.2024)
	—”—	—”—	2	सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र।
	—”—	—”—	3	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
	—”—	—”—	4	तहसील जतारा के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध उत्पन्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
	—”—	—”—	5	जमानत आवेदन पत्र — थाना जतारा, पलेरा एवं बम्हौरीकलां (वे क्षेत्र जो जतारा तहसील के अंतर्गत आते हैं) क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
	—”—	—”—	6	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
	—”—	—”—	7	आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण — न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा— सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न दण्डिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका।
	—”—	—”—	8	थाना—जतारा, पलेरा, बम्हौरीकलां, लिधौरा, चन्देरा से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
17	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा (श्री रूप सिंह कनेल)	माह जुलाई से दिसम्बर तक राजस्व तह0 जतारा, पलेरा, लिधौरा, दिगौडा एवं मोहनगढ़	1	एक करोड़ एक रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद आवेदनपत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।
	—”—	—”—	2	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकाएँ।
	—”—	—”—	3	आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट से संबंधित निष्पादन प्रकरण।
	—”—	—”—	4	हिन्दू विवाह अधिनियम—हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम/ हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम/ इंडियन डायबोर्स एक्ट/ स्पेशल मेरिज एक्ट/मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत प्रकरण, गार्जियनशिप एवं वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएं तथा बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें/दावा
	—”—	—”—	5	धारा 26 म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
	—”—	—”—	6	भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
	—”—	—”—	7	भारतीय उत्तराधिकार के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।
	—”—	—”—	8	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञापतियों/आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।
	—”—	—”—	9	लघुवाद दावे रुपये 501 से 1000 तक।
	—”—	—”—	10	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	—''—	—''—	11	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	12	ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ की श्रवणाधिकारिता के न हों परन्तु इस न्यायालय श्रवणाधिकारिता के हों।
	—''—	—''—	13	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	14	पीठासीन अधिकारी, लिंक न्यायालय— जिला न्यायाधीश जतारा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—''—	—''—	15	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण:— टीकमगढ़ जिले के थाना— 1. जतारा 2. पलेरा 3. बम्हौरीकलां से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा उक्त थाना के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।
	—''—	—''—	16	व्यवहार अपील— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (श्री नरेश सिंह गौड़), द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (सुश्री रेशमा खातून) के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापितियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
18	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा (श्री रूप सिंह कनेल)	सत्र खण्ड	1	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदनपत्र।
		—''—	2	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
	—''—	—''—	3	जमानत आवेदन पत्र:— थाना लिधौरा, चंदेरा (वे क्षेत्र जो जतारा तहसील के अंतर्गत आते हैं) क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
	—''—	—''—	4	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
	—''—	—''—	5	आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा— श्री नरेश सिंह गौड़, सुश्री रेशमा खातून के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका।
	—''—	—''—	6	1.अप.क्र. 649/2024 थाना कोतवाली टीकमगढ़ 2.अप.क्र. 650/2024 थाना कोतवाली टीकमगढ़ 3.अप.क्र. 651/2024 थाना कोतवाली टीकमगढ़ 4.अप.क्र. 652/2024 थाना कोतवाली टीकमगढ़ 5.अप.क्र. 604/2024 थाना कोतवाली टीकमगढ़ 6.अप.क्र. 570/2024 थाना चंदेरी अशोकनगर 7.अप.क्र. 897/2024 थाना बासोदा-विदिशा 8.अप.क्र. 067/2025 कोतवाली अशोकनगर 9.अप.क्र. 390/2025 थाना सिरोंज-विदिशा से उद्भूत मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के सत्र प्रकरणों का विचारण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition No. 38528/2025 Ravi Shankar Tiwari @ Ravi and Others V/s The State of Madhay Pradesh and Others में पारित आदेश दिनांक 09 अक्टूबर 2025 के पालन में समय-समय पर प्राप्त होने वाले म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दांडिक प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एच.जे.एस. – निवाड़ी				
19	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री सतीश कुमार गुप्ता)	माह जुलाई से दिसम्बर तक राजस्व तहसील निवाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा	1	एक करोड़ एक रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।
	—”—	—”—	2	म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें।
	—”—	—”—	3	आर्बिट्रेशन एण्ड कंशीलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कंशीलिएशन एक्ट से संबंधित निष्पादन प्रकरण।
	—”—	—”—	4	हिन्दू विवाह अधिनियम-हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम/ हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम/ इंडियन डायबोर्स एक्ट/ स्पेशल मैरिज एक्ट/मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत प्रकरण, गार्जियनशिप एवं वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएं तथा बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें/ दावा
	—”—	—”—	5	धारा 26 मप्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
	—”—	—”—	6	भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
	—”—	—”—	7	भारतीय उत्तराधिकार के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।
	—”—	—”—	8	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञापतियों/आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।
	—”—	—”—	9	लघुवाद दावे रुपये 501 से 1000 तक।
	—”—	—”—	10	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।
	—”—	—”—	11	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
	—”—	—”—	12	ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ की श्रवणाधिकारिता के न हो परन्तु इस न्यायालय के श्रवणाधिकारिता के हो।
	—”—	—”—	13	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—”—	—”—	14	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण :- पुलिस थाना टेहरका, पृथ्वीपुर, ओरछा एवं सेंदरी से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा उक्त थाना के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।
	—”—	—”—	15	व्यवहार अपील:- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश निवाड़ी (श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला), द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी (श्रीमती सोनम वर्मा), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी (श्री काशीष माटा), व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती भावना सिंह) के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
	—”—	—”—	16	ग्राम न्यायालय, निवाड़ी से उत्पन्न सिविल नियमित एवं विविध अपील। (शासन के विरुद्ध पारित अपीलों को छोड़कर)
20	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री सतीश कुमार गुप्ता)	सत्र खण्ड	1	सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र।
	—”—	—”—	2	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस. 2023
	—''—	—''—	3	तहसील निवाड़ी, पृथ्वीपुर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं तहसील ओरछा के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध उत्पन्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
	—''—	—''—	4	जमानत आवेदन पत्र :- पुलिस थाना कोतवाली निवाड़ी, महिला थाना निवाड़ी, सिमरा, जैरोन के क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
	—''—	—''—	5	सत्र प्रकरण जिन्हें प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे।
	—''—	—''—	6	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
	—''—	—''—	7	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 33 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय निवाड़ी के दांडिक मामलों से उद्भूत दांडिक अपीलें। उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण नोट— जिन अपराधों के विचारण का अधिकार उन्हें दिया गया है, से संबंधित प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे।
	—''—	—''—	8	आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी— श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, श्रीमती सोनम वर्मा, श्री काशीष माटा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओरछा – श्रीमती भावना सिंह के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न दाण्डिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका।
	—''—	—''—	9	खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित दाण्डिक प्रकरणों से उत्पन्न दाण्डिक अपील/अपर कलेक्टर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के आदेशों के विरुद्ध अपील
21-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री रविप्रकाश जैन)	माह जनवरी से जून तक राजस्व तहसील निवाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा	1	एक करोड़ एक रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।
	—''—	—''—	2	म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें।
	—''—	—''—	3	आर्बिट्रेशन एण्ड कंशीलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं आर्बिट्रेशन एण्ड कंशीलिएशन एक्ट से संबंधित निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	4	हिन्दू विवाह अधिनियम-हिन्दू अवयस्कता संरक्षण अधिनियम/ हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम/ इंडियन डायबोर्स एक्ट/ स्पेशल मैरिज एक्ट/मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत प्रकरण, गार्जियनशिप एवं वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएं तथा बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें/दावा
	—''—	—''—	5	धारा 26 मप्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण।
	—''—	—''—	6	भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
	—''—	—''—	7	भारतीय उत्तराधिकार के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर।
	—''—	—''—	8	निराकृत सिविल वादों/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञापितियों/आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।
	—''—	—''—	9	लघुवाद दावे रुपये 501 से 1000 तक।
	—''—	—''—	10	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	—”—	—”—	11	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
	—”—	—”—	12	ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ की श्रवणाधिकारिता के न हो परन्तु इस न्यायालय के श्रवणाधिकारिता के हो।
	—”—	—”—	14	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—”—	—”—	15	व्यवहार अपील— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाडी (श्रीमती प्राची पांडे माटा), व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा (श्री उमेश भगवती), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ओरछा (श्री आशीष शर्मा) के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापितियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
	—”—	—”—	16	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण :- पुलिस थाना कोतवाली निवाडी, महिला थाना निवाडी, सिमरा, एवं जैरोन से उद्भूत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदनपत्र तथा उक्त थाना के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।
22-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाडी (श्री रविप्रकाश जैन)	सत्र खण्ड	1	<u>विशेष न्यायाधीश</u> — भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र (निवाडी के विद्युत क्षेत्र से संबंधित)।
	—”—	—”—	2	सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदनपत्र।
	—”—	—”—	3	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
	—”—	—”—	4	<u>जमानत आवेदन पत्र</u> :- पुलिस थाना टेहरका, पृथ्वीपुर, ओरछा एवं सेंदरी के क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस.2023
	—”—	—”—	5	<u>आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण</u> :- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाडी— श्री मनीष छापरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओरछा —श्री उमेश भगवती, श्री उपमन्यु शुक्ला के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न दाण्डिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका।
	—”—	—”—	6	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
	—”—	—”—	7	थाना कोतवाली निवाडी, महिला थाना—निवाडी एवं थाना— सेंदरी, पृथ्वीपुर, टेहरका, सिमरा, जैरोन एवं ओरछा से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से <u>बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012</u> के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
व्यवहार न्यायाधीशगण हेतु :-				
मुख्यालय टीकमगढ़ :-				
1-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ (श्री आशीष कुमार केशरवानी)	माह जनवरी से फरवरी तक एवं नवम्बर से दिसम्बर राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 10,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
	—	—	2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रुपये से 500/- रुपये तक है।
	—	—	3	भा0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र।
	—	—	4	मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
	—	—	5	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जायें।
	—	—	6	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—	—	7	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—	—	8	राजस्व तहसील बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर से उद्भूत मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
2-	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (म0प्र0) (श्रीमती मीना शाह)	माह मार्च से जून तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
	—	—	2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- ₹0 से 500/- रुपये तक है।
	—	—	3	भा0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र।
	—	—	4	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172(1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
	—	—	5	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाये
	—	—	6	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण
	—	—	7	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—	—	8	राजस्व तहसील बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर से उद्भूत मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
	—	—	9	न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्री राकेश जाटव) द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियां।
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी)		1	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जायें
	—	—	2	उनके द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—	—	3	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—	—	4	न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्री मुदित लटौरिया)	माह जुलाई से अक्टूबर तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 100,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
	—	—	2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रुपये से 500/- रुपये तक है।
	—	—	3	भा10 उत्तरा10 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र।
	—	—	4	मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
	—	—	5	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जायें।
	—	—	6	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—	—	7	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—	—	8	राजस्व तहसील बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर से उद्भूत मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
5	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय टीकमगढ़	राजस्व तहसील टीकमगढ़ की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत	1	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की अनुसूची के भाग 1 व 2 में वर्णित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं द्वितीय अनुसूची के भाग-1 में वर्णित समस्त सिविल प्रकरण व अन्य वाद एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाही।
	—	—	2	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
6-	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़	रिक्त न्यायालय		
7-	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्री सुधि रंजन बागरी)	माह नवम्बर से दिसम्बर तक एवं जनवरी राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
	—	—	2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रु0 से 200/- रुपये तक है।
	—	—	3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—	—	4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—	—	5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
8-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्रीमती जया दीक्षित)		1	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
				नोट- इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियां पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्री रवि तंवर) द्वारा संपादित की जावेंगी।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9-	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्री रवि तंवर)	माह फरवरी से अप्रैल तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण ।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रू0 से 200/- रुपये तक है।
	—''—	—''—	3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—''—	—''—	4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—''—	—''—	5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्रीमती जया दीक्षित) द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियां।
10	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्रीमती शिनी जैन)		1	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
		—''—	2	नोट— इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियां पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्री शुभम जैन) द्वारा संपादित की जावेगी।
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ (श्री शुभम जैन)	माह मई से जुलाई तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण ।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रू0 से 200/- रुपये तक है।
	—''—	—''—	3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—''—	—''—	4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—''—	—''—	5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	6	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाहियां।
12	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री शुभम डेहरिया)	माह अगस्त से अक्टूबर तक राजस्व तहसील टीकमगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़ एवं खरगापुर	1	रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण ।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रू0 से 200/- रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—''—	—''—	4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—''—	—''—	5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	6	प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण ।
13	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (सुश्री ओशीन सिंह सोलंकी, प्रशिष्ट न्यायाधीश)	प्रशिक्षणरत्		

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़	रिक्त न्यायालय		
व्यवहार न्यायालय जतारा :-				
15-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (श्री नरेश सिंह गौड़)	माह जनवरी से अप्रैल तक राजस्व तह0 जतारा, पलेरा, लिधौरा, दिगौड़ा एवं मोहनगढ़	1	रुपये 1,00,00,000 /- (एक करोड़ रुपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
	—”—	—”—	2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 01/- रु0 से 500/- रुपये तक है।
	—”—	—”—	3	उपरोक्त वादों से उत्पन्न सभी निष्पादन व विविध प्रकरण।
	—”—	—”—	4	भार0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
	—”—	—”—	5	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें।
	—”—	—”—	6	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
	—”—	—”—	7	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—”—	—”—	8	न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा के प्रथम अति. न्यायाधीश जतारा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—”—	—”—	9	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
16-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (सुश्री रेशमा खातून)	माह मई से अगस्त तक राजस्व तह0 जतारा, पलेरा, लिधौरा, दिगौड़ा एवं मोहनगढ़	1	रुपये 1,00,00,000 /- (एक करोड़ रुपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
	—”—	—”—	2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 01/- रु0 से 500/- रुपये तक है।
	—”—	—”—	3	उपरोक्त वादों से उत्पन्न सभी निष्पादन व विविध प्रकरण।
	—”—	—”—	4	भार0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
	—”—	—”—	5	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें।
	—”—	—”—	6	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
	—”—	—”—	7	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—”—	—”—	8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			9	न्यायालय- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जतारा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जतारा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जतारा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश जतारा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17-	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जतारा (सुश्री साक्षी मसीह)	माह सितम्बर से दिसम्बर तक राजस्व तह0 जतारा, पलेरा, लिधौरा, दिगौड़ा एवं मोहनगढ़	1	रूपये 1,00,00,000 /- (एक करोड़ रुपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 01/- रू0 से 500/- रुपये तक है।
	—''—	—''—	3	उपरोक्त वादों से उत्पन्न सभी निष्पादन व विविध प्रकरण।
	—''—	—''—	4	भार0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
	—''—	—''—	5	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें।
	—''—	—''—	6	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	7	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—''—	—''—	8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
18-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जतारा (रिक्त न्यायालय)			रिक्त न्यायालय
19-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जतारा (रिक्त न्यायालय)			रिक्त न्यायालय
व्यवहार न्यायालय निवाडी :-				
20-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाडी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)	माह जनवरी से अप्रैल तक राजस्व तहसील निवाडी एवं पृथ्वीपुर का वह भाग जो निवाडी न्यायालय की सीमा में आता है।	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 10,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रुपये से 500/- रुपये तक है।
	—''—	—''—	3	भा0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र।
	—''—	—''—	4	मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
	—''—	—''—	5	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जायें।
	—''—	—''—	6	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—''—	—''—	7	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
21-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाडी (श्रीमती सोनम वर्मा)	माह मई से अगस्त तक राजस्व तहसील निवाडी एवं पृथ्वीपुर का वह भाग जो निवाडी न्यायालय की सीमा में आता है।	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 10,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
	—''—		2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रुपये से 500/- रुपये तक है।
	—''—	—''—	3	भा0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र।
	—''—	—''—	4	मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
	—''—	—''—	5	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जायें।
	—''—	—''—	6	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	—''—	—''—	7	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
22-	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय निवाड़ी (श्रीमती सोनम वर्मा)	राजस्व तहसील निवाड़ी की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत	1	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की अनुसूची के भाग 1 व 2 में वर्णित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं द्वितीय अनुसूची के भाग-1 में वर्णित समस्त सिविल प्रकरण व अन्य वाद एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाही।
	—''—	—''—	2	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
23-	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्रीमती प्राची पांडे माटा)	माह सितम्बर से दिसम्बर तक राजस्व तहसील निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर का वह भाग जो निवाड़ी न्यायालय की सीमा में आता है।	1	समस्त सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य 5,00,001/- (पांच लाख एक) से अधिक एवं 10,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक है।
	—''—		2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रुपये से 500/- रुपये तक है।
	—''—	—''—	3	भा0 उत्तरा0 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्र।
	—''—	—''—	4	मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
	—''—	—''—	5	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जायें।
	—''—	—''—	6	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—''—	—''—	7	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
24-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्री काशीष माटा)	माह जनवरी से दिसम्बर तक राजस्व तहसील निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर का वह भाग जो निवाड़ी न्यायालय की सीमा में आता है।	1	रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रू० से 200/- रुपये तक है।
	—''—	—''—	3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—''—	—''—	4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—''—	—''—	5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—	—''—	6	न्यायालय— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
25-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी	रिक्त न्यायालय		

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
व्यवहार न्यायालय ओरछा :-				
26	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (श्रीमती भावना सिंह)	माह जनवरी से जून तक राजस्व तहसील ओरछा, व पृथ्वीपुर का वह भाग जो ओरछा न्याया0 की सीमा में आता है।	1	रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
	—"	—"	2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रु0 से 500/- रुपये तक है।
	—"	—"	3	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें।
	—"	—"	4	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
	—"	—"	5	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
	—"	—"	6	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—"	—"	7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ओरछा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—"	—"	8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
27-	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा (श्री उमेश भगवती)	माह जुलाई से दिसम्बर तक राजस्व तहसील ओरछा, व पृथ्वीपुर का वह भाग जो ओरछा न्याया0 की सीमा में आता है।	1	रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
	—"	—"	2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रु0 से 500/- रुपये तक है।
	—"	—"	3	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें।
	—"	—"	4	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
	—"	—"	5	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
	—"	—"	6	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—"	—"	7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—"	—"	8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
28-	प्रथम प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री आशीष शर्मा)	मह जनवरी से दिसम्बर तक राजस्व तहसील ओरछा, व पृथ्वीपुर का वह भाग जो ओरछा न्याया0 की सीमा में आता है।	1	रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध तथा निष्पादन प्रकरण।
	—"	—"	2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/- रु0 से 200/- रुपये तक है।
	—"	—"	3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	—"	—"	4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—"	—"	5	न्यायालय - प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ओरछा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ओरछा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	—"	—"	6	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क.	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29-	द्वितीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा	रिक्त न्यायालय		

नोट—

1. सत्र न्यायालय द्वारा अंतरित/सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जमानत आवेदन पत्र, जिस न्यायालय द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया हो, उसी न्यायालय द्वारा पश्चात्पूर्ति जमानत आवेदन पत्रों का भी निराकरण किया जावेगा। इसके साथ ही उसी अपराध से संबंधित अन्य आरोपीगण के प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र भी उसी सत्र न्यायालय द्वारा निराकृत किये जावेंगे, जिस न्यायालय द्वारा सह आरोपियों की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 बी.एन.एस.एस. 2023 के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है। उसी आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माने जावेगे, परन्तु लंबित सत्र प्रकरणों में सह आरोपी की ओर से प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र का निराकरण विचारण न्यायालय जिनके यहां सत्र प्रकरण लंबित हैं, के द्वारा किया जावेगा।
2. विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम, विशेष न्यायालय (विद्युत) अधिनियम, विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम, विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम तथा विशेष न्यायालय (पॉक्सो) अधिनियम के प्रकरणों का पंजीयन संबंधित विशेष न्यायालय में दायरा पंजी रखी जाकर पंजीयन किया जावेगा। इसी प्रकार इन विशेष न्यायालयों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र संबंधित विशेष न्यायालयों में सीधे पेश किये जावेंगे।
3. अवकाश के दौरान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012) के अंतर्गत रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान धारा 480 बी.एन.एस.एस. 2023 के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र, क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दण्डाधिकारी अथवा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे, तदनुसार संबंधित दण्डाधिकारी विधिक प्रावधानों के प्रकाश में निराकरण कर सकेंगे।
4. रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित समस्त कार्य जिला रजिस्ट्रार, टीकमगढ़ द्वारा संपादित किया जावेगा।
5. लोक अदालत की खण्डपीठ द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन वादों का प्रस्तुतीकरण व निराकरण उसी खण्डपीठ द्वारा किया जावेगा, जिसके द्वारा प्रकरण निराकृत किया गया है।
6. मुख्यालय टीकमगढ़/तहसील जतारा/तहसील निवाड़ी में पूर्व में पदस्थापित जिला न्यायाधीश (पूर्व पदनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां कार्य विभाजन पत्रक अनुसार की जावेंगी, व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लेख न होने की स्थिति में उनके प्रभार वाले न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जावेगा।
7. मुख्यालय टीकमगढ़/तहसील जतारा/तहसील निवाड़ी/तहसील ओरछा में पूर्व में पदस्थापित समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (वर्ग-1)/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (वर्ग-2) जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, से संबंधित कार्यवाहियां कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार की जावेंगी व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लेख न होने की स्थिति में उनके प्रभार वाले न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जावेगा।
8. **विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम टीकमगढ़** के अवकाश पर रहने पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों से संबंधित अर्जेंट आवेदनों की सुनवाई जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ पर उपलब्ध वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की जावेगी। जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ में कोई भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपस्थित न होने पर सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा सुनवाई की जावेगी।
9. **विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) अधिनियम टीकमगढ़** के अवकाश पर रहने पर एस.सी./ एस.टी. एक्ट के प्रकरणों से संबंधित अर्जेंट आवेदनों की सुनवाई जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ पर उपलब्ध वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की जावेगी। जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ में कोई भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपस्थित न होने पर सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा सुनवाई की जावेगी एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ द्वारा की जावेगी।

-

16. मोटरयान अधिनियम की धारा 166(2) के तहत मामलों की सुनवाई हेतु उक्त कार्य विभाजन में अधिकृत टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी स्थित समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 166(2) के साथ धारा 164 एवं 163ए के तहत मामलों की सुनवाई का कार्य संपादित किया जावेगा एवं उनके **रिक्त न्यायालयों/उनकी अनुपस्थिति में उनसे** संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य माननीय उच्च न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापिसी से संबंधित कार्य उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा।
17. इस जिला स्थापना पर यदि किसी न्यायालय में पदस्थ पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाता है तो उक्त न्यायालय **{रिक्त न्यायालय}** को आवंटित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य आगामी आदेश होने तक चार्ज प्रभार सारणी के उल्लेखित प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा संपादित किये जायेंगे।
18. पूर्व में रिक्त रहे ऐसे सभी न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत हैं, का तत्समय का समस्त कार्य वर्तमान में कार्यरत संबंधित न्यायालय द्वारा संपादित किया जावेगा।
19. क्षेत्राधिकार के संबंध में भ्रम की स्थिति में आवेदन प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
20. निराकृत विशेष प्रकरणों के संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों से आदेश प्राप्त होने पर कार्य कार्यविभाजन आदेश में दिये गये क्षेत्राधिकारिता अनुसार अधिसूचित न्यायालयों द्वारा {आवंटित थाने अनुसार} कार्यवाही की जायेगी।
21. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय टीकमगढ़ के अवकाश में होने पर, उनके न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा की जावेगी।
22. सत्रखण्ड निवाड़ी/जतारा में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012) के अंतर्गत प्रथम रिमाण्ड प्रस्तुत होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कार्यवाही की जावेगी तथा द्वितीय रिमाण्ड प्रस्तुत होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उक्त पत्रावली, संबंधित न्यायालय में अग्रिम रिमाण्ड हेतु पत्रावली प्रेषित करेंगे तथा अभिरक्षा में रखे जाने वाले वारंट पर आगामी तिथि पर उपस्थित होने के लिये विशेष न्यायालय में उपस्थिति बावत् टीप अंकित करेंगे।
23. जिला स्थापना पर कार्यरत जिला न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में उक्त **रिक्त न्यायालय** के अत्यावश्यक {सिविल एवं आपराधिक} कार्य हेतु चार्ज प्रभार सारणी के उल्लेखित नियुक्त प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही क्लेम प्रकरणों में जमा राशि के भुगतान संबंधी कार्यवाही सहित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां संपादित की जावेगी। (तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश टीकमगढ़ (श्रीमती अनीता बाजपेयी) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ (श्री पारस कुमार जैन) के रिक्त न्यायालयों को छोड़कर)

(श्रीमती प्रवीणा व्यास)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 टीकमगढ़ (म0प्र0)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

क्र०	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाडी (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाडी (श्रीमती प्राची पांडे माटा)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाडी (श्रीमती सोनम वर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाडी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
ओरछा :-				
27	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (श्रीमती भावना सिंह)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री आशीष शर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाडी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला)
28	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (श्रीमती भावना सिंह)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री आशीष शर्मा)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाडी (श्रीमती सोनम वर्मा)
29	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री आशीष शर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (श्रीमती भावना सिंह)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाडी (श्री काशीष माटा)
30	द्वितीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री आशीष शर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (श्रीमती भावना सिंह)

नोट- 1. स्तम्भ क्रमांक 3, 4 एवं 5 में दर्शित न्यायिक अधिकारी के भी अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने से मुख्यालय/तहसील मुख्यालय में कार्यरत निकटतम वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा आवश्यक न्यायिक कार्य संपादित किया जावेगा।

2. उपरोक्त तालिका में न्यायालय के प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय, द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय एवं तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय उनके पदनाम के अनुसार भी लेख किये गये हैं, भविष्य में स्थानांतरण होने पर स्थानांतरित अधिकारी के स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा आगामी आदेश जारी होने तक आवश्यक सिविल कार्य सामान्य रूप से सम्पादित किया जावेगा।

(श्रीमती प्रवीणा व्यास)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म०प्र०)

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान्नीय पोर्ट फोलियो न्यायाधिपति महोदय (टीकमगढ़), म०प्र० उच्च न्यायालय, जबलपुर (म०प्र०)
2. मान्नीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर (म०प्र०)
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर (म०प्र०)
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (म०प्र०)
5. कलेक्टर, टीकमगढ़/निवाड़ी (म०प्र०)
6. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाड़ी (म०प्र०)
- की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
7. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) टीकमगढ़ (म०प्र०)
8. समस्त जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी (म०प्र०)
9. प्रभारी अधिकारी, (फाईलिंग काउन्टर) टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा
10. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, टीकमगढ़
11. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा
12. रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, टीकमगढ़
13. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा
14. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रशिक्षु न्यायाधीश) टीकमगढ़
15. जुबेनाईल जस्टिस बोर्ड, टीकमगढ़
16. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय टीकमगढ़/निवाड़ी
17. प्रस्तुतकार, न्यायालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म०प्र०)
18. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म०प्र०)
19. अध्यक्ष अभिभाषक संघ जतारा/निवाड़ी/ओरछा जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)
20. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़
21. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म०प्र०)
22. संबंधित श्री
- क. 7 लगायत 22 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।
23. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को संबंधित उक्त अधिकारीगण की ओर ई-मेल के माध्यम से अविलंब प्रेषित करावें तथा जिला न्यायालय टीकमगढ़ की वेबसाईट पर अविलंब अपलोड करावें।

संलग्न- विविध आदेश

(श्रीमती प्रवीणा व्यास)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म०प्र०)